भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3939

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

3939. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में एमएसएमई के लिए इस योजना का दायरा और कवरेज क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत नए एमएसएमई के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता अथवा ऋण शर्तों में छूट दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : केंद्रीय बजट 2024-25 में यह घोषणा की गई थी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु बिना किसी कोलेट्राल राशि या तृतीय पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा हेतु एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस बजट घोषणा पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

*****